बिहार सरकार
बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी
(ग्रामीण विकास विभाग)

दिनांक -:-**16/08/2022**

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह**,**
मुख्य परिचालन पदाधिकारी।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मधुबनी, बिहार।

विषयः- **कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) एवं लेखापाल प्रखंड मधवापुर के द्वारा मनरेगा योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर गबन करने, मनरेगा मार्गदर्शिका का उल्लंघन कर मनमानी करने तथा कमीशन खोरी करने के संबंध में प्राप्त शिकायत पत्र।**

प्रसंगः- मो० रियाज अखतर, पंचायत रोजगार सेवक द्वारा प्राप्त शिकायत पत्र, दिनांक 21-06-2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मो० रियाज अखतर, पंचायत रोजगार सेवक, ग्राम-पंचायत-पिरोखड़, प्रखंड- मधवापुर , जिला- मधुबनी के द्वारा शिकायत की गयी है। जिसमें उल्लेख किया गया है की मधुबनी जिलान्तर्गत मधवापुर प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारी एवं लेखापाल के द्वारा मनरेगा अंतर्गत 03 योजनाओं यथा FP/20280892, FP/20276085 एवं FP/20284476 में फर्जीवाड़ा कर राशी गबन करने, प्राक्कलित राशी से ज्यादा का भुगतान करने, एक ही स्थल पर दो अलग-अलग नाम से एक ही वर्ष में फर्जी मास्टर रौल तैयार कर फर्जी ढंग से अवैध राशि का भुगतान किये जाने, मनरेगा मार्गदर्शिका का उलंघन कर मनमानी तरीके से काम करने तथा कमीशन खोरी किये जाने के संबंध में सूचित किया गया है ।

अतः उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है की पत्र के साथ संलग्न परिवाद पत्र में वर्णित सुचना के संबंध में तथ्यों की समीक्षा हेतु जिला स्तर से जाँच दल गठित करते हुए जाँच कराया जाये। साथ हीं किये गये जाँच से सम्बंधित प्रतिवेदन राज्य को उपलब्ध कराया जाय, ताकि इस सम्बंध में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नकः **यथोक्त**

विश्वासभाजन

Signed by Sanjay Kumar
Singh
Date: 16-08-2022 14:41:25
Reason: Approved

(संजय कुमार सिंह)
मुख्य परिचालन पदाधिकारी

प्रतिलिपिः जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सेवा में,

मुख्य सचिव
बिहार सरकार, पटना

विषयः—कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) एवं लेखापाल प्रखण्ड मधवापुर के द्वारा मनरेगा योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर गबन करने तथा मनरेगा मार्गदर्शिका का उल्लंघन कर एवं मनमानी कर काम करने तथा कमीशन खोरी करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदन पुर्वक कहना है कि मधवापुर प्रखण्ड के ग्राम पंचायत बासुकी बिहार (North) में पंचायत समिती स्तर की मनरेगा योजना कोड FP/20280892 वर्ष 2021 ई0 की योजना का नाम – पंचायत सरकार भवन से पश्चिम ट्रांसफरमर से विजय साह (मुखिया) के खेत तक बॉध निर्माण कार्य प्राक्कलित राशी – 138103 / – रूपया, लेबर का प्राक्कलन – 129628 / – रूपया सामग्री मद का प्राक्कलन 8475 / – रूपया कुल प्राक्कलन (लेबर + सामग्री) 138103 / – रूपया है।

परन्तु उक्त वर्णित योजना में मजदुरी मद में प्रावधानित प्राक्कलन 129628 / – रूपया से काफी अधिक राशी यानी 145460 / – रूपया का भुगतान मजदुरी मद में कि गई है जबकि मापी कम ही राशी का दर्ज है। फर्जी मास्टर रौल तैयार कर फर्जी ढंग से अवैध राशी का भुगतान किया गया है। इस योजना में स्थल पर सूचना पट्ट भी नही लगाया गया है स्थल पर कार्य भी उतनी राशी का नहीं किया गया है जितनी राशी का P.O द्वारा भुगतान किया गया है। मैंने उक्त वर्णित योजना में कि गई फर्जीवाड़ा कि शिकायत दिनांक 04 / 10 / 2021 ई0 को DM Sir को निबंधित डाक से किये थे परन्तु आजतक दोषी PO - मधवापुर एवं लेखापाल – मधवापुर के विरूद्ध न तो जॉच ही कि गई और न ही आजतक कोई कारवाई भी नही कि गई है। उक्त योजना में कि गई फर्जी भुगतान के साक्ष्य के रूप में विभागीय वेवसाइट से MIS Report निकालकर संलग्न कर आवश्यक कानूनी कारवाई हेतु दे रहा हूॅ। (i) MIS Report R 6.18, (ii) MIS से Estimate - 2 पन्ना, (iii) MIS से निकाली गई MUSTOR ROLL 15 पन्ने, (iv) Financial Report 1 पन्ना, वर्ष 2021 – 22। उक्त कागजातों का अवलोकन करने की कृपा कर शिध्र कानूनी कारवाई दोषियों के विरूद्ध करने की कृपा करेंगे।

श्रीमान् को यह भी सादर सूचित करना है कि पूरे मधवापूर प्रखण्ड में मनरेगा के वित्तिय वर्ष 2021 – 22 ई0 में कियान्वित दिखलाई गई पंचायत समिति स्तर की सभी योजनाओं की भी जॉच करने की कृपा करेंगे। फर्जी मास्टर रौल निर्गत कर फिर फर्जी ढंग से गलत लोगों का MR में हाजरी दर्ज कर तथा बढ़ा – चढ़ाकर वास्तविक किए काम से काफी अधिक काम गलत ढंग से मापी पुस्तक में दर्ज कर तथा अवैध मजदुरों से मिलीभगत कर व पैसा देकर PO एवं लेखापाल / JE एवं बिचौलिया द्वारा आपसी सॉठ – गॉठ कर फर्जी भुगतान किया गया तथा अवैध मजदूरो राशी वसूल कर उक्त वर्णित लोगो ने सरकारी राशी की लुट कर गवन कर लिया है। वर्तमान में भी मनरेगा की सभी योजनाओं में भारी कमिशन खोरी एवं फर्जीवांड़ा कर सरकारी राशी कि लुट कि जा रही है। DPO Sir/ Director Sir DRDA, Madhubani को कई बार मिलकर शिकायत किए EE (मनरेगा) मधुबनी को भी कई बार मिलकर शिकायत किए परन्तु उक्त वर्णित लोगों ने भी न तो जॉच किए और न ही कोई कारवाई भी नही किये। प्रतीत होता है कि उक्त लोगों ने सॉठ – गॉठ प्रखण्ड के PO/Accountant/JE/ बिचौलिया से कर लिए है।

श्रीमान् को यह भी ज्ञात हो कि विभागीय दिशा – निर्देश के आलोक में केवल मिट्टी के सड़क निर्माण कार्य पर पुर्णतः रोक लगी हूई है परन्तु अवैध / फर्जी तरीके से मिट्टी सड़क को कागजों एवं MIS पर बॉध दर्शा कर व लिखकर तथा बढ़ा चढ़ा कर गलत प्राक्कलन बनाकर थोड़ा काम वह भी कुछ मशीनों से कुछ मजदुर से कराकर फिर बढ़ा–चढ़ा कर गलत ढंग से मापी पुस्तक तैयार कर फर्जी भुगतान कर सरकारी राशी की लुट /बंदरबॉट कि गई है और अभी भी की जा रही है। योजना स्थल पर सूचना पट्ट भी नही लगायी जाती है और न ही नियमानुसार निगरानी एवं अनुश्रवण समिति से कराए गए योजना का अनुमोदन नही करायी जाती है।

पिरोखड. पंचायत मे वर्ष 2021 ई0 में योजना कार्य ID -FP/20276085 गौड़ी शंकर साह के खेत से लेकर मुकेश यादव के खेत तक बॉध पर मिट्टी कार्य ये योजना एवं योजना ID-FP/20284476 गौड़ी शंकर साह के खेत से लेकर रामबहादुर के खेत तक बॉध पर मिट्टी कार्य, उक्त दोनों योजना स्थल / मार्ग एक ही है तथा लोकेशन एवं रास्ता एक ही है परन्तु दो अलग – अलग नाम से एक ही वर्ष 2021 ई0 में योजना गलत ढंग से खोलकर फर्जी भुगतान कर राशी कि लुट / गबन कि गई है। वित्तिय वर्ष 2021 – 22 ई0 में मनरेगा की भुगतान कि गई सभी योजनाओं में फर्जीवाड़ा कर गबन कि गई है। अतः पंचायत समिति स्तर की मनरेगा की सभी योजनाओं कि जिसमें भुगतान कि गई है। उक्त सभी योजनाओं की स्थलीय जॉच कर कानूनी कारवाई करने की कृपा की जाय। लोकपाल मनरेगा एवं सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 13/01/2022 को पिरोखड़ पंचायत में पंचायत समिति की वर्ष 2021–22 की तीन योजनाओं की जॉच जो कर ली गई है तथा जिसकी जॉच प्रतिवेदन एवं कानूनी कारवाई की अनुशंसा की जा चुकी है उक्त को छोड़कर मनरेगा की पंचायत समिति स्तर कि वर्ष 2021–22 में भुगतान की गई सभी योजनाओं की स्थलीय जॉच करने की कृपा की जाय।

अतः श्रीमान् से सादर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में आप स्वयं जॉच करने की कृपा करेंगें। मनरेगा की पंचायत समिति स्तर कि वर्ष 2021–22 में भुगतान कि गई सभी योजनाओं कि स्थलिय जॉच एवं तकनीकी जॉच मनरेगा से इतर स्वतंत्र / तटस्थ एवं निष्पक्ष और ईमानदार वरिये तकनीकी पदाधिकारी के साथ स्वयं करने की कृपा करेंगे। किसी भी परिस्थिति में DPO / Director DRDA एवं मनरेगा से किसी प्रकार जुड़े पदाधिकारी से जॉच नही कराने की कृपा करेंगे क्योंकी इन लोगों की सॉठ गॉठ प्रखण्ड के मनरेगा पदाधिकारी / कर्मियों / बिचौलिया से है तथा कमीशन खोरी में सब सम्मिलित हैं जिस कारण सही तथा निष्पक्ष जॉच नही हो सकेगी। अतः आप स्वयं तथा मनरेगा से इतर किसी वरीये तकनिकी पदाधिकारी के साथ वर्ष 2021–22 ई0 में पंचायत समिति स्तर कि मनरेगा कि भुगतान कि गई सभी योजनाओं के स्थलीय जॉच एवं मनरेगा मार्गदर्शिका और मनरेगा अधिनियम के आलोक में जॉच करने की कृपा करेंगे तथा दोषी सभी संबंधितों मनरेगा कर्मीयों एवं पदाधिकारियों पर कानूनी कारवाई करने की कृपा करेंगे। साथ ही प्रखण्ड के मनरेगा पदाधिकारी एवं मनरेगा कर्मीयों को मनरेगा में भ्रष्टाचार एवं कमीशन खोरी में साथ एवं सहयोग तथा संरक्षण देने वाले मनरेगा के वरीय पदाधिकारी एवं वरीय तकनीकी पदाधिकारी पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक –
~~उक्त / यथा वर्णित~~

Reyaz Akhtar
21/6/022

पं0 रोजगार सेवक
ग्राम पं0 – पिरोखड़
प्रखण्ड – मधवापुर, मधुबनी।